

॥ श्री ॥

दंजीयन संख्या
(कार्यालय उपयोग हेतु)

बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केन्द्र

(अ.भा.माहेश्वरी महासभा की प्रेरणा से स्थापित)

1, मेन सेक्टर, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा - 311001 (राज.)

फोन : 01482-250911, E-mail : abmm@sangamgroup.com

बैंक से लिये गये शिक्षा ऋण पर देय ब्याज में सहयोग हेतु आवेदन पत्र

महोदय जी,

मैंने उच्च शिक्षा के लिए बैंक से शिक्षा ऋण लिया है। इस ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज में आपके नियमों के अनुसार सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रेषित कर रहा / रही हूँ। मेरे, मेरे परिवार तथा मेरी शिक्षा सम्बन्धि विवरण निम्न प्रकार हैं।

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)

आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के पिटल लेटर्स)

2. जन्म दिनांक निवास स्थान जिला राज्य

3. आवेदक का पत्र व्यवहार का पता

पोस्ट पिन कोड जिला प्रदेश

फोन नम्बर मोबाइल ई-मेल

4. पिता / अभिभावक का नाम व्यवसाय

व्यवसाय स्थल का पता

5. पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय

नोट : आय प्रमाण हेतु आयकर रिट्टन / नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र अथवा तहसीलदार / जिलाधीश का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6. सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित जानकारी

1. परिवार पहचान संख्या

2. क्षेत्र का नाम जहाँ परिवार सर्वेक्षण में शामिल किया गया

3. परिवार का आय वर्ग

7. परिवार में कुल सदस्य पुस्त्र महिलाएँ लड़के लड़कियाँ योग

8. परिवार में अध्ययनरत बालक बालिकाएँ योग

9. आवेदनकर्ता की पूर्व शिक्षा की जानकारी

क्र.सं.	कक्षा	वर्ष	बोर्ड / विश्व विद्यालय	प्राप्त प्रतिशत	ग्रेड
1	सैकण्डरी				
2	सीनियर सैकण्डरी				
3	डिप्लोमा डिग्री				

अंकतालिका (Mark Sheet) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।

10. प्रवेश लिए हुए कोर्स की जानकारी

कोर्स का नाम कोर्स की अवधि वर्ष

कोर्स प्रारम्भ की तिथि कोर्स समाप्ति की तिथि

संस्थान / महाविद्यालय का नाम व पता

विश्वविद्यालय का नाम

कोर्स / विश्वविद्यालय की मान्यता की जानकारी

11. शिक्षा काल में विद्यार्थी के आवास का पूर्ण पता

.....
.....
.....

12. शिक्षा का अपेक्षित खर्च वर्षवार

(1) वर्ष (2) वर्ष (3) वर्ष (4) वर्ष योग

13. बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की जानकारी

बैंक का नाम तथा पूरा पता
..... पिन कोड टेलिफोन नम्बर

स्वीकृत ऋण की कुल राशि ब्याज दर

नोट : बैंक ऋण स्वीकृति पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पढ़ने योग्य नहीं करें।

14. प्रतिज्ञा पत्र

मैं घोषित करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त जानकारी सही है। मैं ट्रस्ट की इस योजना के सभी नियमों एवं शर्तों से परिचित हूं और उनका पूर्ण पालन करूँगा/करूँगी। बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केन्द्र तथा स्थानीय सभा/ट्रस्ट द्वारा प्राप्त इस सहायता को मैं ऋण रूप में स्वीकार करता हूं तथा आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद इस राशि को लौटाने का वचन देता हूं।

स्थान

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

नाम

स्थानीय संगठन द्वारा पूर्ति

श्री आत्मज/आत्मजा श्री निवासी

को बैंक से कुल ऋण राशि रूपये स्वीकृत हुई है। मैं विद्यार्थी की प्रतिभा तथा परिवार की आर्थिक क्षमता को जानता हूं तथा इसे शिक्षा सहयोग प्रदान कराने हेतु अभिशंषा करता हूं। सामाजिक सर्वेक्षण में परिवार का पंजीयन / पहचान क्रमांक है।

दिनांक
स्थानीय सभा के अध्यक्ष / मंत्री में से कोई भी
पदाधिकारी अनुशंषा कर सकते हैं। अपने पद की
रबर स्टाम्प लगाना आवश्यक है।
हस्ताक्षर
नाम
रबर स्टाम्प

जिला / प्रदेश सभा/ ट्रस्ट /ट्रस्टी द्वारा पूर्ति की जावे जो विद्यार्थी को शिक्षाकाल में बैंक ब्याज की 25 प्रतिशत राशि देने की सहमति प्रदान करते हैं।

मैं(नाम) पद सभा
विद्यार्थी श्री / कुमारी आत्मज / आत्मजा
निवासी को जानता हूं।

इसे बैंक ऋण पर देय 25 प्रतिशत ब्याज की राशि सहायता स्वरूप प्रदान करने की सहमति देता हूं। उक्त राशि समय-समय पर विद्यार्थी को प्रदान करते हुए उसकी सूचना ट्रस्ट कार्यालय को देता रहूँगा।

दिनांक
हस्ताक्षर
नाम
पद (मोहर)

ब्रदीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केन्द्र द्वारा पूर्ति
विद्यार्थी आत्मज/आत्मजा निवासी
को बैंक से कुल ऋण राशि वार्षिक किश्तों में स्वीकार की गई है। अपने हिस्से
के ब्याज की (50 प्रतिशत) राशि किश्तों के अनुसार विद्यार्थी को भेजने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

प्रमुख नियम व शर्ते

1. शिक्षा पूर्ण होने पर कमाई शुरू होने तक या अधिकतम 6 माह तक (जो पहले हो) इस योजना के तहत सहायता दी जायेगी। उसके बाद ब्याज की राशि एवं मूलधन चुकाने की जिम्मेदारी विद्यार्थी व उसके परिवार की होगी।
2. बैंक ऋण की शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना विद्यार्थी को तुरन्त ही ट्रस्ट कार्यालय को देनी होगी। सूचना के अभाव में परिवर्तित शर्तों से कोई नुकसान विद्यार्थी को होता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट/प्रादेशिक सभा / जिला सभा की नहीं रहेगी।
3. विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी न करते हुए किसी भी कारणवश बीच में रोक देता है तो इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता भी अपने आप बन्द हो जायेगी। असाधारण परिस्थिति में इस पर अलग से गौर किया जायेगा।
4. अधिकतम ऋण राशि 5 लाख रूपये स्वीकार्य होगी तथा पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु अधिकतम ब्याज 10 प्रतिशत मानकर ब्याज गणना की जायेगी।
5. आवेदक को प्रत्येक सत्र/वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका प्रेषित करनी होगी अन्यथा नवीनीकरण नहीं होगा तथा नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन भी करना होगा।
6. एक परिवार में अधिकतम दो आवेदक को यह राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
7. विद्यार्थी को लिये गये ऋण व ब्याज की जानकारी हेतु समय-समय पर बैंक ऋण स्टेटमेन्ट भेजना आवश्यक है। बैंक ऋण स्टेटमेन्ट के अभाव में सहायता राशि नहीं भेजी जायेगी।
8. शिक्षा समाप्ति पर नौकरी लगने अथवा व्यवसाय प्रारम्भ की सूचना ट्रस्ट कार्यालय को तत्काल देना आवश्यक है।
9. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों / अंक तालिकाओं की प्रमाणित (Certified) प्रतिलिपियाँ भेजना आवश्यक है।
पूर्व कक्षाओं की प्रमाणित अंकतालिकायें -
 1. सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रतिलिपि। यदि आप ब्रेज्युएट हैं तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिकाओं की प्रतिलिपि। यदि आपने कोई डिप्लोमा भी पास किया है तो अंकतालिका की प्रतिलिपि,
 - प्रवेश परीक्षा की अंकतालिका।
 2. पिता/अभिभावक का आयकर प्रमाण पत्र (दिये गए निर्देशानुसार)
 3. बैंक ऋण स्वीकृति का पूरा पत्र जिसमें ऋण सम्बन्धी सभी शर्तें अंकित हों।
 4. बैंक से ली गई किश्तों सम्बन्धी बैंक स्टेटमेन्ट।
 5. आधार कार्ड तथा परिवार कार्ड
 6. केन्सिल चैक
 7. संस्थान में प्रवेश का प्रमाण पत्र
 8. फीस की रसीद/प्रमाण पत्र
 9. सामाजिक सर्वेक्षण का पंजीयन / पहचान क्रमांक
 10. समाज संगठन पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा, अनुशंसक अपना नाम, पता तथा पद स्पष्ट अंकित करे साथ ही अपने मोबाइल एवं ई-मेल आईडी का भी उल्लेख करें।